

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस आवेदन नं०-01/2018

गजाता यासमीन

बनाम्

बीबी अफरोबा खातुन

-: आदेश :-

(5)

संक्र

आवेदिका गजाता यासमीन पति-मु० सलाउद्दिन सं०-समरी
थाना-महागामा जिला-गोड्डा ने आँगनबाड़ी केंद्र समरी सं०-4 के
आँगनबाड़ी सेविका के नियुक्ति के विरुद्ध आवेदन दिया है।

इससे स्पष्ट है कि मामला आँगनबाड़ी सेविका नियुक्ति से
संबंधित है। सहायक सरकारी अधिवक्ता का भी मतव्य इस आशय का है कि
इस मामले का सुनवाई हेतु उप विकास आयुक्त, गोड्डा को भेजा जा सकता
है।

अतः मामला इस स्तर से समाप्त किया जाता है। आवेदिका
चाहे तो अपना आवेदन 04 सप्ताह के अंदर उप विकास आयुक्त, गोड्डा को
दे सकते हैं।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।